कार्यपालिका सारांश

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2015 का समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन राजकाषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005, संशोधित 2011, बजट अभिलेखों, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, तेरहवें वित्त आयोग (टीएचएफसी) द्वारा अनुशंसित आर्थिक समीक्षा मानक तथा विभिन्न शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ो के आधार पर किया गया है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

प्रथम अध्याय, वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2015 की स्थिति में शासन की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह राज्य की संपूर्ण वित्तीय स्थिति, समर्पित व्यय तथा उधार पद्धति के बजट अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति के प्रवृत्तियों पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। साथ ही यह राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा बजट के बाहर अन्य माध्यम से निधियों के हस्तांतरण का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

द्वितीय अध्याय, विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधरित है तथा यह अनुदानवार विनियोग का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों के द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है।

तृतीय अध्याय, विभिन्न प्रतिवेदन आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के प्रति छत्तीसगढ़ शासन के अनुपालन की सूची है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

प्रथम अध्यायः राज्य शासन के वित्त

राजकोषीय स्थितिः

- वर्ष 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, 13वें वित्त आयोग में किए गए 12.50 प्रतिशत के प्रावधान के विरूद्ध 13.20 प्रतिशत (वर्ष 2013–14 में ₹ 1,85,682 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 2,10,192 करोड़) था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा ₹ 1,573 करोड़ हुआ था और यह शून्य राजस्व घाटा बनाये रखने में असफल रहा जैसा कि 13वें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वारा परिकल्पित किया गया था। वर्ष 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 8,008 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.81 प्रतिशत था जो कि 13वें वित्त आयोग एव एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित तीन प्रतिशत की सीमा से अधिक था ।

(कंडिका 1.1.2)

- राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 37,988 करोड़) में पिछले वर्ष में ₹ 2,472 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014–15 में ₹ 5,938 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 4,262 करोड़ (90 प्रतिशत), कर राजस्व ₹ 1,364 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश ₹ 483 करोड़ (छः प्रतिशत) की वृद्धि तथा करेत्तर राजस्व में ₹ 171 करोड़ (तीन प्रतिशत) की कमी थी।

(कंडिका 1.3)

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकताएं

- राजस्व व्यय में वर्ष 2013–14 की तुलना में ₹ 6,702 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह बजट अनुमान (₹ 46,191 करोड़) से ₹ 6,630 करोड़ कम था। आगे, वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय (₹ 46,195 करोड़) का 85.64 प्रतिशत एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19 प्रतिशत था। कुल राजस्व व्यय में आयोजना राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2013–14 में 42 प्रतिशत से बढ़ कर 2014–15 में 53 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014–15 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत की कमी हुई और यह कुल राजस्व व्यय का 47 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.3, 1.6.1, 1.6.2.1 एवं 1.6.2.2)

- वर्ष 2014–15 के दौरान, पिछले की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹ 1,970 करोड़ (43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्य रूप से सड़क एवं पुल, शहरी विकास, अन्य ग्रामीण विकास योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण, वृहत सिंचाई तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत था।

(कंडिका 1.6.4)

- राज्य के द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को प्रदत वित्तीय सहायता वर्ष 2013–14 में ₹ 7,650.73 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 10,573.31 करोड़ हो गई। सब्सिडी पर व्यय में ₹ 591 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.6.6)

अपूर्ण परियोजनाएं

- लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के 167 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2015 तक व्यय राशि ₹ 4,824.45 करोड़ निष्फल रही।

(कंडिका 1.8.1)

शासकीय निवेशों पर प्रतिफल

- 31 मार्च 2015 की स्थिति में, शासन ने सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों, बैंकों एवं समितियों आदि में ₹ 1,872.53 करोड़ निवेश किया। वर्ष के दौरान शासन का निवेश पर प्रतिफल (₹ 0.86 करोड़) 0.05 प्रतिशत था यद्यपि औसत ऋण लागत 6.16 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.8.2)

राजकोषीय दायित्व

- वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य के राजकोषीय दायित्वों (₹ 31,181 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 25.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 13.41 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष राजकोषीय दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 14.83 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.9.2)

ऋण प्रबंधन

- उधार निधियों की कुल उपलब्धता वर्ष 2013–14 में ₹ 4,283 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 4,551 करोड़ हो गई। ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2013–14 में 4.22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 4.55 प्रतिशत हो गया।

(कंडिका 1.10.2)

द्वितीय अध्यायः वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

- वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 12,848.03 करोड़ का बचत था, जो कि त्रुटिपूर्ण बजट प्राक्कलन की ओर इंगित करता है। विगत पाँच वर्षों से सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित 10 अनुदान में सतत् बचत देखे गये थे।

(कंडिका 2.3 एवं 2.4.2)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2014–15 के दौरान आकस्मिकता निधि से छः अवसरों पर राशि ₹ 20.97 करोड़ के अग्रिम का आहरण ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए किया गया जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

(कंडिका 2.5)

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित नियमितीकरण

वर्ष 2014–15 के दौरान चार अनुदानों और एक विनियोग में राशि ₹ 833.54 करोड़ का, प्रावधानों से अधिक व्यय किया गया था, जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमितीकरण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अवधि 2000–14 के लिए ₹ 2,313.39 करोड के अधिक व्यय का नियमितीकरण अभी भी अपेक्षित है।

(कंडिका 2.4.11 एवं 2.4.12)

तृतीय अध्यायः वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

- राज्य शासन के एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं यथा विश्वविद्यालय, अस्पताल, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य को दिन प्रतिदिन के परिचालन व्यय को पूरा करने और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्रदत्त राशि ₹ 16,476.92 करोड़ के अनुदानों के संबंध में अनुदान ग्रहिता संस्थानों से वृहद संख्या में उपयोगिता प्रमाण पत्र (15254) अपेक्षित हैं, जो कि संबंधित विभागों के द्वारा अनुदानों के उपयोगिता की उचित निगरानी में कमी को इंगित करता है।

(कंडिका 3.1)

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- आठ स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखा प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुए थे, जिससे स्वायत्त निकायों के कामकाज की जाँच में विलंब हुई।

(कंडिका 3.2.2)

सक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर निधियों का आहरण

- मार्च 2015 की स्थिति में विस्तृत आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण वर्ष 2014–15 के दौरान आहरित राशि ₹ 79.37 करोड़ के सक्षिप्त आकस्मिक देयक लंबित थे।

(कंडिका 3.3)

हानि तथा दुर्विनियोग के प्रकरणों का प्रतिवेदन

- राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा हानि, दुर्विनियोग आदि के 2263 प्रकरणों में ₹ 109.21 करोड़ के शासकीय धन का मार्च 2015 की स्थिति में निपटारा अपेक्षित था।

(कंडिका 3.4)

व्यक्तिगत जमा खाते का अनुरक्षण

व्यक्तिगत जमा खातें, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर वित्त विभाग की अनुमति के बिना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी जारी रखे गये थे। मार्च 2015 की स्थिति में 224 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 1,630.82 करोड़ का महत्वपूर्ण अंत शेष था। 14 अप्रचलित पीडी खाते जिनमें ₹ 22.63 करोड़ सम्मिलित थे बंद नहीं किये गये एवं इन खातों में अवशेष पांच वर्ष से अधिक से अनुपयोगी पड़े थे।

(कंडिका 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6.2 एवं 3.7.6.3)

'लोक निर्माण निक्षेप' के अंतर्गत व्यपगत निक्षेप को जमा नहीं करना

- नमूना जाँच किये गये 17 लोक निर्माण संभागों में, तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी राशि ₹ 19.04 करोड़ शासन के खाते में जमा नहीं किये गये थे। वैट, कल्याण उपकर, रॉयल्टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर भी केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता का उल्लंघन कर लोक निर्माण जमा में रखे गये थे।

(कंडिका 3.8.5.2 एवं 3.8.5.4)